रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार अप्रैल 20, 1995/चैत्र 30, 1917
No. 175] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 1995/CHAITRA 30, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1995

सं. 14/95-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन टी)

सा. का. नि. 354(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/94-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन टी), तारीख 4 जुलाई, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अधिसूचना के अन्त में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण :—'इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "बीजक" से वह दस्तावेज अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल के विक्रय के लिए जारी किया गया है और जिसमें वे ब्यौरे दिए गए हैं जिन्हें बोर्ड ने नियम 57 छछ के अधीन विहित किया है'।

[फा. सं. 267/9/95—के. उ. 8]
आई. पी. लाल, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1995

No. 14/95-Central Excises (NT)

G.S.R. 354(E).—In exercise of the powers conferred by rule 57G of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 32/94-Central Excise (Non-Tariff), dated the 4th July, 1994; namely :—

In the said notification, the following explanation shall be added at the end of notification, namely :—

Explanation :—'for the purposes of this notification, "invoice" means a document issued by a registered person for sale of goods and which contains such details as are perscribed by the Board under Rule 57 GG'.

[F. No. 267/9/95-CX-8]
L. P. LAL, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1995

सं. 15/95-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन टी)

सा. का. नि. 355-(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1)

की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57-छछ में, :—

(क) उपनियम (5) में, "प्रत्येक प्रकार की" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"(7) यदि परेषण में समाविष्ट सभी पैकेज एक ही समय पर एक ही लाट में प्रेषित किए जाते हैं तो उस परेषण की बाबत केवल एक बीजक तैयार किया जाएगा। तथापि, यदि किसी परेषण को दो या अधिक लाटों में पृथक किया जाता है जिसमें से प्रत्येक को या तो उसी दिन या भिन्न-भिन्न दिनों को पृथकतः प्रेषित किया जाता है, तो प्रत्येक लाट की बाबत पृथक बीजक तैयार किया जाएगा। यदि किसी परेषण की लदाई एक से अधिक यान, जलयान, भारवाही पशु या वाहन के अन्य साधनों पर की जाती है जो साथ-साथ यात्रा नहीं करते किंतु पृथकतः या अंतरालों पर यात्रा करते हैं, तो प्रत्येक यान, जलयान, भारवाही पशु या अन्य वाहन की बाबत पृथक बीजक तैयार किया जाएगा।

(8) प्रत्येक मास की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के भीतर प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रेंज अधीक्षक को एक मासिक विवरणी और अन्य दस्तावेज, जो कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड या कलक्टर विहित करे, रेंज अध्यक्ष द्वारा सत्यापन के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(9) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियम 57 छछ के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को पांच वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रखेगा और मांग किए जाने पर उन्हें केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को पेश करेगा।"।

[फा. सं. 267/9/95-सी एक्स—8]

आई. पी. लाल, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1995

NO. 15/95-CENTRAL EXCISE (NT)

GSR 355(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rule further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Sixth Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 57 GG of the Central Excise Rules, 1944,—

(a) in sub-rule (5), the words "each type" shall be omitted;

(b) after sub-rule (6), the following sub-rules shall be added, namely :—

"(7) If all the packages comprising a consignment are despatched in one lot at any one time, only one invoice shall be made out in respect of the consignment. If, however, a consignment is split up into two or more lots each of which is despatched separately either on the same day or on different days, a separate invoice shall be made out in respect of each lot. In case a consignment is loaded on more than one vehicle, vessel, pack animal or other means of conveyance which do not travel together but separately or at intervals, a separate invoice shall be made out in respect of each vehicle, vessel, pack animal or other conveyance.

(8) Within seven days after the close of every month, every registered person shall submit to the Range Superintendent a monthly return and other document as the Central Board of Excise And Customs or the Collector may prescribed for the purpose of verification by the Range Superintendent.

(9) Every registered person shall preserve documents specified under rule 57 GG for a period of five years and shall, on demand, produce the same to the Central Excise Officer.".

[F. No. 267/9/95-CX-8]

I. P. LAL, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995